उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–19/2010–11

मोतीलाल भगत

बनाम्

विश्वनाथ टुडू एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 16.09.13

सुनवाई की निर्धारित तिथि को अपीलकर्त्ता के कई बार पुकार करने पर अनुपस्थित रहने के कारण उत्तरवादी विश्वनाथ टुडू के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मोतीलाल भगत, पे0–स्व0 जमुना भगत, सा0–बुढ़ीकुरा, थाना–देवडाँड़, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–83/2004–05 के आदेश दिनांक–07.05.2010 के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–83/2004–05 के आदेश दिनांक–07.05.2010 के द्वारा उत्तरवादी विश्वनाथ टुडू को मौजा–बुढ़ीकुरा का प्रधान नियुक्त किया है।

उत्तरवादी विश्वनाथ टुडू के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी विश्वनाथ टुडू मौजा–बुढ़ीकुरा के पट्टा प्रधान है। उत्तरवादी की नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश दिनांक–07.05.2010 के द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन एवं सौलह आना रैयतों को नोटिश तामिला कराकर बिना किसी आपत्ति के संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर की गयी है एवं तभी से उत्तरवादी मौजा–बुढ़ीकुरा का प्रधान का कार्य करते आ रहें हैं। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता ने मौजा–बुढ़ीकुरा का प्रधान नियुक्त होने के लिए श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था। साथ ही उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए अन्य दो आवेदक बबलू टुडू, पे0–स्व0 किशुन टुडू एवं चेतनारायण पंडित, पे0–स्व0 पियारी पंडित ने भी आवेदन दाखिल किया था। जिसका पी0ए0 केश नं0–83/2004–05 दर्ज किया गया था, जिसमें प्रधानी पद पर

नियुक्ति के लिए देवडीह थाना परिसर में चुनाव कराया गया था। जिसमें कुल 142 रैयत ने वोट दिया था। आवेदक चेतनारायण पंडित ने भी उत्तराधिकारी के पिता बबलू टुडू को वोट दिया था। बबलू टुडू को 141 वोट पड़ा था। मोतीलाल भगत को मात्र स्वयं का एक वोट पड़ा था। इस प्रकार उत्तरवादी के पिता बबलू टुडू को पूर्ण बहुमत के आधार पर दिनांक–28.09.2007 के आदेश द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने मौजा–बुढ़ीकुरा का प्रधान नियुक्त किया एवं पट्टा भी दिया। बाद में बबलू टुडू की मृत्यु हो गयी एवं उसकी स्थान पर उत्तरवादी विश्वनाथ टुडू को मौजा–बुढ़ीकुरा का प्रधान नियुक्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने प्रधान नियुक्त करने में सभी नियमों का पूरी तहर से पालन किया गया है। इस प्रकार उत्तरवादी को प्रधान नियुक्त करने में कोई त्रुटि नहीं रह गयी है। अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादी को तंग करने के नियत से यह अपील वाद दायर किया है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–211/रा0 दिनांक–04.02.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि न्यायालय में चल रहे आर0एम0ए0 नं0–19/2010–11 मोतीलाल भगत बनाम् विश्वनाथ टुडू एवं अन्य में दिनांक–11.12.2018 के पारित आदेश के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक–161/रा0 दिनांक–29.01.2021 से आम सूचना निर्गत कर मौजा–बुढ़ीकुरा, अचंल–गोड्डा सदर के पंचायत भवन बुढ़ीकुरा में सोलह आना रैयत के बीच ग्राम प्रधान के पद हेतु राय प्राप्त करने के लिए आम सभा दिनांक–03.02.2021 को आयोजित किया गया। आम सभा में कुल 172 जमाबंदी रैयत के वारिशान उपस्थित हुए जिसमें 138 लोागों ने सहमति के लिए भाग लिया। जिसके बीच ग्राम प्रधान के पद हेतु राय प्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई वोटिंग के क्रम में मोतीलाल भगत के पक्ष में कुल–11 रैयत ने ग्राम प्रधान हेतु सहमति व्यक्त की एवं द्वितीय पक्ष विश्वनाथ टुडू के पक्ष में कुल–127 रैयत ने ग्राम प्रधान हेतु अपनी सहमति जताई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी विश्वनाथ टुडू, पे0–स्व0 बबलू टुडू, सा0–बुढ़ीकुरा, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा–बुढ़ीकुरा थाना नं0–572

का प्रधान नियुक्त किया गया एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट भी होता है कि वोटिंग के क्रम में अपीलकर्त्ता मोतीलाल भगत के पक्ष में कुल–11 रैयत ने ग्राम प्रधान हेतु सहमति व्यक्त की एवं उत्तरवादी विश्वनाथ टुडू के पक्ष में कुल–127 रैयत ने ग्राम प्रधान हेतु अपनी सहमति जताई है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी विश्वनाथ टुडू मौजा के सौलह आना रैयतों सामान्यतया स्वीकार योग्य है और ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के पारित आदेश नियमानुकूल प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी०ए० केश नं०–83/2004–05 के आदेश दिनांक–07.05.2010 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

16.03.21

उपायुक्त,
गोड्डा।

16/03/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
19/3/2021

18/03/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:34:50 +05:30
Location: 192.168.29.8